web

कार्यालय जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर

संख्या :: /स्टाम्प सहायक–2017 दिनांक : जुलाई , 2017

प्रेस विज्ञप्ति

उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2013 के नियम–4 के अन्तर्गत जनपद मुजफ्फरनगर सदर, जानसठ, खतौली एवं बुढ़ाना से सम्बन्धित अचल सम्पत्तियों के न्यूनतम मूल्य के निर्धारण संबंधी मूल्यांकन सूची का वार्षिक संशोधन दिनांक 01.08.2017 से प्रस्तावित है।

प्रस्तावित रेट लिस्ट अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) मुजफ्फरनगर, सहायक महानिरीक्षक निबन्धन मुजफ्फरनगर, उप जिलाधिकारी एवं तहसीलदार सदर/जानसठ /बुढ़ाना/खतौली, उप निबंधक प्रथम/द्वितीय सदर, जानसठ, बुढ़ाना एवं खतौली जनपद मुजफ्फरनगर के कार्यालय में अवलोकनार्थ रक्षित है, और नोटिस बोर्ड पर चस्पा है। जिलाधिकारी महोदय के आदेश दिनांक 13.06.2017 के क्रम में इच्छुक व्यक्ति दिनांक 20–07–2017 तक प्रत्येक कार्यदिवस पर प्रातः 10:00 बजे से 05:00 बजे तक प्रस्तावित रेट लिस्ट के सम्बन्ध में अपनी आपत्ति/सुझाव जिला मुख्यालय पर सहायक महानिरीक्षक निबंधन मुजफ्फरनगर तथा तहसील मुख्यालय पर सम्बन्धित उप निबंधक कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि व समय के उपरान्त कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं किया जायेगा। दिनांक 24–07–2017 को कलेक्ट्रेट स्थित सभाकक्ष में आपत्तियों/सुझावों का निस्तारण किया जायेगा। तदोपरान्त प्रस्तावित रेट लिस्ट दिनांक 01–08–2017 से प्रभावी की जायेगी।

(सुनील कुमार सिंह)
अपर कलेक्टर (वित्त एवं राजस्व)
मुजफ्फरनगर

कार्यालय कलेक्टर/जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर

संख्या :: 1831 /स्टाम्प सहा०/रेट लिस्ट/2017 दिनांक :: 12 जुलाई, 2017

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- आयुक्त स्टाम्प महोदय, उ0प्र0, लखनऊ/इलाहाबाद।
2- जिलाधिकारी महोदय, मुजफ्फरनगर को अवलोकनार्थ।
3- उपायुक्त स्टाम्प, सहारनपुर मण्डल।
4- सहायक आयुक्त स्टाम्प जनपद मुजफ्फरनगर।
5- तहसीलदार सदर/जानसठ/बुढ़ाना/खतौली जनपद मुजफ्फरनगर को इस आशय से प्रेषित कि प्राप्त आपत्तियों के संबंध में अपनी स्थलीय जाँच मय उप निबंधक के साथ करते हुए आख्या दिनांक 20.07.2017 तक उपलब्ध कराये।
6- उप निबंधक प्रथम/द्वितीय सदर, जानसठ, बुढ़ाना एवं खतौली जनपद मुजफ्फरनगर को इस आशय से कि दिनांक 20–07–2017 की सायं तक प्राप्त आपत्तियों/सुझावों पर अपनी तथ्यात्मक आख्या स्थलीय जाँच सहित मय तहसीलदार की आख्या सहित उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
7- जिला सूचना अधिकारी मुजफ्फरनगर को छः प्रतियों में इस आशय से कि स्थानीय समाचार पत्रों–मुजफ्फरनगर बुलेटिन, दैनिक रायल बुलेटिन, शाह टाईम्स, दैनिक जागरण, हिन्दुस्थान, अमर उजाला में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
8- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, मुजफ्फरनगर को इस आशय से कि जनपद की बेबसाईट पर प्रसारित कराने का कष्ट करें।

12.7

(सुनील कुमार सिंह)
अपर कलेक्टर (वित्त एवं राजस्व)
मुजफ्फरनगर